

सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त व दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 में वर्णित शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ (Learner Support Services)के अंतर्गत भावी शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश-पूर्व परामर्श सत्रों (Pre-admission Counselling Sessions) के आयोजन का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में नैक के मानदंड-V शिक्षार्थी सहायता और प्रगति (Criterion- V Learner Support and Progression)में भी प्रवेश-पूर्व परामर्श सत्रों के आयोजन का वर्णन है।

अतः वर्तमान सत्र में विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के समन्वयकों से आग्रह है कि वह उनके विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए समावेशन कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में संचालित सभी संबन्धित अध्ययन केन्द्रों में इन सत्रों का आयोजन हो।

R. S. S.
निदेशक, अकादमिक 03/3/22

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव।
3. सभी विद्याशाखाओं के निदेशक।
4. निदेशक आर. एस. डी.।
5. सभी पाठ्यक्रमों के समन्वयक।
6. ए. आर. डी.।
8. अध्ययन केंद्र।
9. प्रभारी, प्रवेश अनुभाग।

R. S. S.
निदेशक, अकादमिक 03/3/22